

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन, जनपद-बांदा।
- (2) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, राया, जनपद-मथुरा।
- (3) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय:- राज्य सेक्टर कार्यक्रम की 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 03 निकायों में विभिन्न स्थानों में पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के पेयजल हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत निम्नलिखित 03 निकायों के विभिन्न स्थानों में पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-422/2024/नौ-5-2024/001-Com. No.-1871453 दिनांक 25-11-2024 के क्रमांक-2,04 एवं 18 पर अंकित निकाय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में प्रस्तावित **रु० 193.63 लाख (रूपये एक करोड़ तिरानबे लाख तिरसठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा की धनराशि	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि	अवशेष/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (निविदा की धनराशि - अब तक अवमुक्त धनराशि)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, ओरन, जनपद-बांदा के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	109.07	108.85	55.00	53.85
2	नगर पंचायत, राया, जनपद-मथुरा के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	174.07	173.80	87.00	86.80
3	नगर पंचायत, लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	108.03	107.98	55.00	52.98
योग- रूपये एक करोड़ तिराबे लाख तिरसठ हजार मात्र		391.17	390.63	197.00	193.63

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों


- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
 - (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 - (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण संबंधित कोषागार से तत्संबंधी सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
 - (6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें।
 - (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
 - (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
 - (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 - (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
 - (12) परियोजना की स्वीकृति से संबंधित मूल शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,93,63,000 (रुपये एक करोड़ तिरानबे लाख तिरेसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 48/2026/1339(1)/नौ-5-2026/001-Com.No-1871453, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी।
- 4- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-13/04/2026

प्रेषण संख्या:- 48
आवंटन आदेश संख्या:- 001-48-2026-1339-9-5-2026-001-CN-1871453
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8680000 8680000	8680000 8680000
2	बांदा -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5385000 14508000	5385000 14508000
3	सुल्तानपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5298000 5298000	5298000 5298000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19363000 28486000	19363000 28486000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरानवे लाख तिरेसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौरासी लाख छियासी हजार


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव